

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2022/208

दिनांक :- 19.4.2022

मुकदमा नंबर 32/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जानू खां वल्द महेन्द्र खां जाति मुसलमान सिंधी निवासी सिन्धियों की ढाणी तहसील पचपदरा। जिला बाडमेर।		1. गफूर खां वल्द करीम खां जाति मुसलमान निवासी वेदलारई तहसील पचपदरा 2. शेरू खां वल्द कादर खां 3. वली मोहम्मद वल्द कादर खां 4. गजरों बैवा कादर खां 5. हाजी पुत्र हेदर खां 6. नूरे खां पुत्र हेदर खां 7. अबु खां पुत्र हेदर खां 8. सदीक खां पुत्र करीम खां 9. चानण खां पुत्र उस्मान खां 10. मुसे खां पुत्र उस्मान खां 11. वली खां पुत्र उस्मान खां जातियान मुसलमान निवासी वेदरलाई 12. राजस्थान सरकार (भूमिधारक जरिये तहसीलदार) पचपदरा

आदेश

दिनांक :- 18.04.2022

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा सिन्धियों की ढाणी पटवारी क्षेत्र पचपदरा भू-निरीक्षक पचपदरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 1067/63 रकबा 22 बीघा 10 विस्वा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थागढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपय 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपय मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें



(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी,
बालोतरा, राजस्थान